संख्या– /111-XXVI/RSVY/2006

प्रेषकः

अगरेन्द्र सिन्हा
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
चम्पावत,उत्तरांचल।

नियोजन अनुभाग।

देहरादूनः दिनांकः 27 मार्च, 2006

विषयः राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत जनपद चम्पावत हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष वर्ष 2005–06 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–पी–12053/5/2004–MLP दिनांक 14 मार्च, 2006 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0 82 भा0स0/111-/RSVY/2005 दिनांक 09 फरवरी, 2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना हेतु जनपद चम्पावत के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रस्तावित रूपये 15.00 करोड की योजना के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त 50 प्रतिशत की धनराशि के अनुसार रूपये 7.50 करोड (रूपये सात करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि को वर्ष 2005–06 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1. उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग जनपद चम्पावत की राष्ट्रीय सम विकास के अंतर्गत के लिये ही किया जाय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि न किया जाय। जिसका उपयोग योजना आयोग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना के लिये निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. उक्त आवंटित धनराशि को ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। स्वीकृति धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों/मार्ग निर्देशक सिद्वान्त के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

———2/——

3. राष्ट्रीय सम विकास योजना में नियोजन विभाग के समन्वित प्रयासों से विकास खण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर मासिक अनुश्रवण किया जायेगा। विकास खण्ड, जिला, राज्य स्तर पर मध्यावधि मूल्यांकन तथा उसके आधार पर कार्य नीति एवं योजना का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. स्वीकृति धनराशि की योजनावार आवंटन की सूचना शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायी जाय धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन,भारत सरकार एवं महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5. स्वीकृति की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2006 तक पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को निर्धारित प्रारूप पर शासन एवं योजना आयोग भारत सरकार को वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय सम विकास योजना की द्वितीय किश्त,प्रथम किश्त के पूर्ण उपयोग होने एवं भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त ही स्वीकृति की जायेगी। यदि उक्त अवधि तक इस धनराशि का उपयोग नहीं होता है तो समस्त अवशेष धनराशि 31 मार्च, 2006 तक समर्पित कर दी जायेगी।

6. यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करते हुए बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर/कोटेशन एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा निर्गत आदेश एवं अन्य तदविषयक आदेशों का कडाई से पालन किया जायेगा।

7. व्यय उन्हीं मदों/योजनाओं में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

8. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9. उक्त स्वीकृति धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय व्ययक अनुदान संख्या–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–00–आयोजनागत–092–अन्य कार्यालय व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–02–राष्ट्रीय सम विकास योजना(आर0एस0वी0वाई0)– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा।

10. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशास0 संख्या–468/XXVII/5(1)/2006 दिनांक 27.03.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव ।

———3/——

संख्या–आ०व्य० ०५(1)/89–XXVI/पीएमजीवाई(पु0)/2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. उप सलाहकार, योजना आयोग(एमएलपी प्रभाग),भारत सरकार, योजना भवन,संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. आयुक्त,कुमायूं मण्डल,नैनीताल/मुख्य विकास अधिकारी चम्पावत।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
5. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
6. श्री एल0एम0पन्त,अपर सचिव,वित्त,बजट प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3/गार्ड फाइल/विभागीय पत्रावलियों हेतु।
9. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पवांर)
संयुक्त सचिव।